दैनिक भास्कर

बिलासपुर भास्कर 21-06-2025

आठ बाइक चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

बिलासपुर | शहर में हुए कई बाइक चोरी की वारदातों के आरोपी जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी पर कुल आठ बाइक चोरी करने का आरोप है, जिनमें दो बाइक उसकी गिरफ्तारी के बाद बरामद की गई हैं। उसे गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने 24 नवंबर 2023 को थाने में अपनी बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद 31 दिसंबर 2024 को सुरेश कुमार पटेल ने भी अपनी बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई। दोनों मामलों में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सकरी के शारदा विहार कॉलोनी में रहने वाले विवेक शुक्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने विभिन्न दिनों में अलग-अलग स्थानों से आठ बाइक चुराना कबूल किया था। पुलिस ने उसे 18 फरवरी 2025 को गिरफ्तार किया। कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि आरोपी के पास से दो बाइक जब्त की गई है। उसने 8 बाइक चोरी करना स्वीकार किया है। इस आधार पर हाई कोर्ट ने दोनों जमानत अर्जी खारिज कर दी है।